



## मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रिक्त  
आवासीय सम्पत्तियों को निविदा सह-नीलामी एवं  
लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से प्राप्त करने का

*"स्वर्णिम अवसर"*

## आवेदन पत्र/विवरणिका

पंजीकरण

प्रारम्भ तिथि 15.11.2021 से

31.03.2022 तक

मूल्य रू0 1200 /—  
(जी0एस0टी0 सहित)

## आवासीय सम्पत्ति (भूखण्ड एवं भवन) की निविदा सह-नीलामी हेतु नियम व शर्तें:-

1. योजना के आवेदन फार्म एवं विवरण पुस्तिका निर्धारित शुल्क देकर ICICI बैंक, सिविल लाइन्स, शाखा, मुरादाबाद से प्राप्त किये जा सकते हैं।
2. पुस्तिका के साथ संलग्न आवेदन फार्म में समस्त सूचनाएं भर कर टोकन धनराशि के रूप में भूखण्ड के कुल मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर आवेदन पत्र के साथ ICICI बैंक, सिविल लाइन्स, शाखा, मुरादाबाद में जमा किए जा सकेंगे।
3. आवेदन फार्म सही व पूर्ण भरा जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अथवा निर्धारित अभिलेख संलग्न न होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवासीय सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) जहां हैं, जैसे हैं के आधार पर निस्तारित किये जायेंगे। नीलामी में भाग लेने वाले (इच्छुक क्रेता) नीलामी सम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशित होने के उपरान्त किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित भूखण्ड का स्थल निरीक्षण कर सकते हैं। उच्चतम बोली बोलने के बाद नीलाम किये गये भूखण्ड/भवन की स्थिति विषयक किसी भी दोष के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत ग्राह्य/मान्य नहीं होगी।
5. नीलामी में 18 वर्ष से अधिक आयु का भारतीय नागरिक ही भाग ले सकता है।
6. यदि बोलीदाता नीलामी स्थल पर किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या नीलामी की शर्तों/प्रतिबंधों का पालन नहीं करता है तो उसका आवेदन निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष/नीलामी समिति को होगा।
7. सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) हेतु न्यूनतम आरक्षित दर/मूल्य के ऊपर बोली रू0 1% अथवा नीलामी समिति द्वारा नीलामी के समय बताये गये अन्तर पर ही बोली स्वीकार की जायेगी। यदि किसी सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) के विरुद्ध एक ही बोली प्राप्त होती है, तो ऐसी दशा में उक्त सम्पत्ति की बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।
8. सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) की 35 प्रतिशत धनराशि नीलामी बोली स्वीकृत होने के एक माह के अन्दर धरोहर राशि को समायोजित करते हुये अवशेष 65 प्रतिशत धनराशि 3 मासिक ब्याज रहित किस्तों में अथवा MCLR+1 प्रतिशत (नीलामी की दिनांक को प्रभावी) ब्याज के साथ 8 त्रैमासिक किस्तों में देय होगी। विलम्ब से जमा करने पर किस्तों में सम्मिलित ब्याज के अतिरिक्त 2 प्रतिशत दण्ड ब्याज देय होगा।
9. यदि आवेदक द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष उच्चतम बोली की अवशेष राशि नीलामी बोली स्वीकृत होने के पश्चात एक माह के अन्दर एक मुस्त जमा किया जाता है तो सम्पत्ति मूल्य की 2 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी, जिसे अन्य शुल्कों में रजिस्ट्री से पूर्व समायोजित किया जायेगा।
10. यदि किसी आवेदक द्वारा इच्छित आवासीय सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) के लिए निर्धारित जमानत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करते हुए आवेदन किया गया है और वह उस आवासीय सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) के लिए उच्चतम बोली देने में असफल रहते हैं, तो वह अन्य आवासीय सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) की नीलामी में भाग ले सकते हैं। अन्य सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) हेतु नीलामी में भाग लेने की स्थिति में यदि इच्छित सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) उसके द्वारा पूर्व में आवेदित सम्पत्ति से अधिक मूल्य का है, तो उन्हें उस आवासीय सम्पत्ति के लिए बोली में भाग लेने से पूर्व निर्धारित टोकन धनराशि के अन्तर की धनराशि जमा करायी जानी होगी।
11. अन्य शुल्क जैसे कॉर्नर शुल्क (10 प्रतिशत), रोड़ शुल्क (05 प्रतिशत), पार्क शुल्क (10 प्रतिशत) सम्पत्ति की स्थलीय स्थिति अनुसार (अधिकतम 20 प्रतिशत) तथा फ्री-होल्ड शुल्क (12 प्रतिशत) अतिरिक्त देय होंगे।

12. सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) जिस योजना में स्थित है, उस योजना के स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण तक नियमानुसार निर्धारित दरों पर रख-रखाव शुल्क प्राधिकरण को देय होंगे।
13. सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) के सम्बन्ध में सर्विस टैक्स व नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर आदि आवंटी द्वारा देय होंगे।
14. नीलामी कक्ष में बोलीदाता अथवा उनका अधिकृत प्रतिनिधि ही टोकन सहित प्रवेश कर सकते हैं। इच्छुक क्रेता यदि नीलामी में स्वयं प्रतिभाग नहीं करना चाहते हैं, तो उनके द्वारा नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु अपने खून के रिश्ते में भाई/बहन, माता/पिता, पुत्र/पुत्री एवं पति/पत्नी को अधिकृत किया जा सकता है। अधिकार पत्र में सम्बन्धित व्यक्ति की फोटो एवं हस्ताक्षर इच्छुक क्रेता द्वारा प्रमाणित किये जायेंगे। एक व्यक्ति केवल एक ही इच्छुक क्रेता का प्रतिनिधित्व कर सकेगा। बोलीदाता अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के साथ मात्र एक अन्य व्यक्ति ( भाई, बहन, माता, पिता, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी) नीलामी कक्ष में उपस्थित हो सकेगा।
15. आवंटित सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) पर किसी अर्जन सम्बन्धी विवाद अथवा किसी न्यायालय में विधिक वाद अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारण से सम्पत्ति का कब्जा देने में विलम्ब/बाधा की स्थिति में आवंटी को कोई क्षतिपूर्ति/ब्याज देय नहीं होगा तथा ऐसी दशा में आवंटी की मांग पर आवंटन निरस्त करते हुये जमा धनराशि वापस कर दी जायेगी।
16. किसी भी प्रकार की देयता शेष रहने तथा नीलामी धारक द्वारा जमा न कराये जाने पर उक्त धनराशि को प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर योजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-40 के तहत भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी, जिसमें नीलामीदाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
17. सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) का कब्जा विक्रय पत्र के निबन्धन के उपरान्त ही दिया जायेगा।
18. आवंटित भूखण्ड/भवन पर प्राधिकरण से नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराने के पश्चात ही निर्माण अनुमन्य होगा एवं निर्माण सम्बन्धी सभी नियम व शर्तें आवंटी को मान्य होंगी।
- 19. आवंटित भूखण्ड/भवन के लिए भू-आच्छादन, एफ.ए.आर. एवं ऊंचाई मानचित्र स्वीकृति के समय प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास अधिनियम के अनुसार अनुमन्य होगा।**
20. उपरोक्त के अतिरिक्त आवेदक को सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) की नीलामी हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति में उल्लिखित शर्तें मान्य होंगी।
21. स्थल पर पैमाइश के समय यदि क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि होती है, तो वृद्धि होने पर आवंटी द्वारा देय अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत बोली की दर से जमा करनी होगी एवं कमी होने पर अतिरिक्त जमा धनराशि का समायोजन आवेदक द्वारा देय धनराशि में से करते हुये यदि कोई धनराशि अवशेष होती है, तो आवंटी को बिना ब्याज के रिफण्ड कर दी जायेगी।
22. किसी भी नीलामी को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने अथवा नीलामी से पूर्व नियम व शर्तों में परिवर्तन, परिवर्धन अथवा संशोधन का अधिकार उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में निहित है, जिसके विरुद्ध बोलीदाता का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
23. आवंटन के उपरान्त अन्तिम किस्त की देय तिथि से छः माह के भीतर की अवधि में, यदि आवंटी द्वारा आवंटित सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) को लेने से इन्कार किया जाता है तथा जमा धनराशि की वापसी की मांग की जाती है, तो आवंटन निरस्त कर टोकन धनराशि जब्त करते हुये, भूखण्ड/भवन समर्पण हेतु प्रार्थना पत्र की दिनांक को कुल देय धनराशि का 20 प्रतिशत जब्त करते हुए जमा धनराशि में से यदि अवशेष हो, तो वापस कर दी जायेगी।

24. आवंटन के उपरान्त अन्तिम किस्त की देय तिथि के 06 माह के पश्चात यदि आवंटी द्वारा आवंटित भूखण्ड को लेने से इन्कार किया जाता है तथा जमा धनराशि की वापसी की मांग की जाती है, तो उसका आवंटन निरस्त कर टोकन धनराशि जब्त करते हुये, भूखण्ड/भवन समर्पण हेतु प्रार्थना पत्र की दिनांक को कुल देय धनराशि का 30 प्रतिशत जब्त करते हुए, जमा धनराशि में से यदि अवशेष हो, तो वापस कर दी जायेगी।
25. आवंटी द्वारा लगातार 03 किस्तें जमा न करने पर अथवा अन्तिम किस्त की देय तिथि के 06 माह तक उसकी कोई किस्त/धनराशि देय होने पर वह डिफॉल्टर माना जायेगा। ऐसी स्थिति में उसका आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं निरस्तीकरण की तिथि, यदि अन्तिम किस्त की देय तिथि के छः माह के भीतर होती है, तब प्रस्तर-23 व यदि अन्तिम किस्त की देय तिथि के छः माह के उपरान्त होती है, तो प्रस्तर-24 के अनुसार कटौतियाँ की जायेंगी।
26. आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गयी सूचना/अभिलेख असत्य/कूटरचित पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर टोकन धनराशि जब्त करते हुए, निरस्तीकरण की तिथि को कुल देय धनराशि का 30 प्रतिशत जब्त करते हुए जमा धनराशि में से यदि अवशेष हो तो वापस कर दी जायेगी। यदि विक्रय विलेख के पश्चात उक्त प्रकार का कोई तथ्य प्राधिकरण के संज्ञान में आता है, तो विक्रय मूल्य की सम्पूर्ण धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार विक्रय विलेख के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
- ❖ **नोट:**—उपरोक्त प्रस्तर 23 से 26 के अन्तर्गत कटौती हेतु कुल देय धनराशि का तात्पर्य पंजीकरण धनराशि को छोड़कर कुल जमा धनराशि एवं निरस्तीकरण/समर्पण की तिथि पर भुगतान शैड्यूल के अनुसार अवशेष देय धनराशि (किस्त, ब्याज व दण्ड ब्याज सहित) के योग से होगा।
27. आवेदक या उसके परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चों से है) के पास प्रदेश के किसी भ्जी विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद अथवा स्थानीय निकाय द्वारा विकसित कॉलोनियों में सम्बन्धित अभिकरण द्वारा आवंटित अपना कोई भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
28. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र मुरादाबाद होगा।

## 29. सील्ड बिड के माध्यम से प्रतिभाग (यह वैकल्पिक है)

- 29.1 जो भी इच्छुक क्रेता सील्ड बिड प्रक्रिया से सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) लेना चाहते हैं, वह सील्ड बिड निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र के साथ निर्धारित टोकन धनराशि (सम्पत्ति के आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत) के बैंक ड्राफ्ट के साथ प्रश्नगत सम्पत्ति की नीलामी हेतु निर्धारित तिथि से एक कार्य दिवस पूर्व समय 10:00 बजे पूर्वाह्न से नीलामी हेतु निर्धारित तिथि व समय तक Conference Hall (नीलामी कक्ष) में उक्त सम्पत्ति के लिए रखे गये **सील्ड बिड बॉक्स** में डाले जा सकेंगे। सील्ड बिड में लगाये गये बैंक ड्राफ्ट की फोटो प्रति एवं सील्ड बिड लिफाफे की छायाप्रति सहित आवेदन फार्म भरने पर नीलामी में भाग लेने हेतु टोकन भी निर्गत किया जा सकेगा, परन्तु सील्ड बिड वापिस नहीं की जायेगी।
- 29.2 सील्ड बिड लिफाफे के ऊपर निम्नलिखित विवरण अंकित किया जायेगा।
- (अ) सील्ड बिड क्रेता का नाम व पूरा पता
- (ब) पिता/पति का नाम
- (स) योजना का नाम

(द) सम्पत्ति संख्या एवं क्षेत्रफल

- 29.3** प्रश्नगत सम्पत्ति (भवन/भूखण्ड) की सीलड बिड उस भूखण्ड की नीलामी प्रक्रिया की बोली समाप्त होने के तुरन्त बाद बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जायेंगी एवं बिड धनराशि सबके समक्ष घोषित की जायेगी। बोली गयी धनराशि एवं सीलड बिड की धनराशि में अधिकतम धनराशि के आधार पर नीलामी का परिणाम घोषित किया जायेगा।

सचिव

उपाध्यक्ष

## लॉटरी ड्रॉ हेतु नियम व शर्तें:-

1. योजना के आवेदन फार्म एवं विवरण पुस्तिका निर्धारित शुल्क देकर ICICI बैंक, सिविल लाइन्स, शाखा, मुरादाबाद से प्राप्त किये जा सकते हैं।
2. पुस्तिका के साथ संलग्न आवेदन फार्म में समस्त सूचनाएं भर कर पंजीकरण धनराशि के रूप में भवन के कुल मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर आवेदन पत्र के साथ ICICI बैंक, सिविल लाइन्स, शाखा, मुरादाबाद में जमा किए जा सकेंगे। निर्धारित अन्तिम तिथि 31.03.2022 के उपरान्त प्राप्त आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
3. आवेदन फार्म सही व पूर्ण भरा जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अथवा निर्धारित अभिलेख संलग्न न होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
4. लॉटरी हेतु प्रस्तावित भवन जहां हैं, जैसे हैं के आधार पर निस्तारित किये जायेंगे। विज्ञापन प्रकाशित होने के उपरान्त किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित भवन का स्थल निरीक्षण कर सकते हैं। आवंटन के पश्चात भवन की स्थिति विषयक किसी भी दोष के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत ग्राह्य/मान्य नहीं होगी।
5. लॉटरी में 18 वर्ष से अधिक आयु का भारतीय नागरिक ही भाग ले सकता है।
6. यदि बोलीदाता लॉटरी स्थल पर किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या लॉटरी की शर्तों/प्रतिबंधों का पालन नहीं करता है तो उसका आवेदन निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, मु0वि0प्रा0 को होगा।
7. भवन आवंटन के पश्चात कुल धनराशि का 35 प्रतिशत, पूर्व में जमा पंजीकरण धनराशि को समायोजित करते हुए आवंटन पत्र जारी करने की तिथि से एक माह के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदक द्वारा जमा की गयी पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
8. सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) की 35 प्रतिशत धनराशि आवंटन स्वीकृत होने के एक माह के अन्दर धरोहर राशि को समायोजित करते हुये **अवशेष 65 प्रतिशत धनराशि 3 मासिक ब्याज रहित किस्तों में** अथवा **MCLR+1** प्रतिशत (आवंटन की दिनांक को प्रभावी) ब्याज के साथ 8 त्रैमासिक किस्तों में देय होगी। विलम्ब से जमा करने पर किस्तों में सम्मिलित ब्याज के अतिरिक्त 2 प्रतिशत दण्ड ब्याज देय होगा।
9. यदि आवेदक द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष अवशेष धनराशि आवंटन स्वीकृत होने के पश्चात एक माह के अन्दर एक मुस्त जमा किया जाता है तो **सम्पत्ति मूल्य की 2 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी**, जिसे अन्य शुल्कों में रजिस्ट्री से पूर्व समायोजित किया जायेगा।
10. भवन की भूमि कीमत का 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड व अन्य आवश्यक शुल्क निबन्धन से पूर्व जमा करना होगा। निबन्धन की प्रक्रिया में होने वाला समस्त व्यय क्रेता को ही वहन करना होगा।
11. भवन जिस योजना में स्थित है, उस योजना के स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण तक नियमानुसार निर्धारित दरों पर रख-रखाव शुल्क प्राधिकरण को देय होंगे।
12. भवन के सम्बन्ध में सर्विस टैक्स व नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर आदि आवंटी द्वारा देय होंगे।
13. लॉटरी कक्ष में आवेदक अथवा उनका अधिकृत प्रतिनिधि ही प्रवेश कर सकते हैं। आवेदक यदि लॉटरी में स्वयं प्रतिभाग नहीं करना चाहते हैं, तो उनके द्वारा लॉटरी में प्रतिभाग करने हेतु अपने खून के रिश्ते में भाई/बहन, माता/पिता, पुत्र/पुत्री एवं पति/पत्नी को अधिकृत किया जा सकता है। अधिकार पत्र में सम्बन्धित व्यक्ति की फोटो एवं हस्ताक्षर इच्छुक क्रेता द्वारा प्रमाणित किये जायेंगे। एक व्यक्ति केवल एक ही इच्छुक क्रेता का प्रतिनिधित्व कर सकेगा। आवेदक अथवा

उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के साथ मात्र एक अन्य व्यक्ति ( भाई, बहन, माता, पिता, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी) लॉटरी कक्ष में उपस्थित हो सकेगा।

14. आवंटित भवन पर किसी अर्जन सम्बन्धी विवाद अथवा किसी न्यायालय में विधिक वाद अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारण से भवन का कब्जा देने में विलम्ब/बाधा की स्थिति में आवंटी को कोई क्षतिपूर्ति/ब्याज देय नहीं होगा तथा ऐसी दशा में आवंटी की मांग पर आवंटन निरस्त करते हुये जमा धनराशि वापस कर दी जायेगी।
15. भवन का कब्जा विक्रय पत्र के निबन्धन के उपरान्त ही दिया जायेगा।
16. आवंटन के उपरान्त अन्तिम किस्त की देय तिथि से छः माह के भीतर की अवधि में, यदि आवंटी द्वारा आवंटित भवन को लेने से इन्कार किया जाता है तथा जमा धनराशि की वापसी की मांग की जाती है, तो आवंटन निरस्त कर पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुये, भवन समर्पण हेतु प्रार्थना पत्र की दिनांक को कुल देय धनराशि का 20 प्रतिशत जब्त करते हुए जमा धनराशि में से यदि अवशेष हो, तो वापस कर दी जायेगी।
17. आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गयी सूचना/अभिलेख असत्य/कूटरचित पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुए, निरस्तीकरण की तिथि को कुल देय धनराशि का 30 प्रतिशत जब्त करते हुए जमा धनराशि में से यदि अवशेष हो तो वापस कर दी जायेगी। यदि विक्रय विलेख के पश्चात उक्त प्रकार का कोई तथ्य प्राधिकरण के संज्ञान में आता है, तो विक्रय मूल्य की सम्पूर्ण धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार विक्रय विलेख के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
18. आवेदक या उसके परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चों से है) के पास प्रदेश के किसी भी विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद अथवा स्थानीय निकाय द्वारा विकसित कॉलोनियों में सम्बन्धित अभिकरण द्वारा आवंटित अपना कोई भूखण्ड नहीं होना चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

**सचिव**

**उपाध्यक्ष**

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की योजनाओं में आवासीय भूखण्ड/भवन प्राप्त करने हेतु  
आवेदन-पत्र

1. योजना का नाम .....
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) .....
- (अंग्रेजी में) .....
3. आवेदक के पिता/पति का नाम .....
4. पता (क) स्थायी पता (हिन्दी में) .....
- .....
- (ख) पत्र व्यवहार का पता (हिन्दी में).....
- .....

**फोटो**

**स्वहस्ताक्षरित**

(एक माह के अन्दर का  
खिंचा हुआ)

5. आवेदक का पैन नम्बर (छायाप्रति संलग्न करें) .....
6. आवेदक का आधार नम्बर (छायाप्रति संलग्न करें) .....
7. आवेदित सम्पत्ति का विवरण (क) सैक्टर..... (ख) सम्पत्ति संख्या.....
8. आवेदक की आय.....
9. आवेदक की आय (वार्षिक आय).....
10. आवेदित भुगतान पद्धति एकमुश्त/किस्तों में
11. आवेदक के खाते का विवरण:- खाता संख्या .....
- बैंक शाखा .....
- आई0एफ0एस0सी0 कोड.....
12. आवेदक का दूरभाष सं0.....(मोबाइल).....
13. आवेदक की ई-मेल आईडी .....
14. जमा प्रतिशतका विवरण:- बैंक ड्राफ्ट संख्या .....दिनांक .....
- जारीकर्ता बैंक का नाम .....
- प्रतिशत (अंको में) रू0.....
- प्रतिशत (शब्दों में) .....

स्थान.....  
दिनांक.....

**आवेदक के हस्ताक्षर**

**घोषणा पत्र**

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की उपरोक्त योजना से सम्बन्धित नियमों को पढ़ लिया है तथा मैं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त नियमों व शर्तों का पालन करूंगा/करूंगी। मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचनायें मेरे अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्ड/भवन पर नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत करा कर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही स्थल पर निर्माण करूंगा/करूंगी।

आवेदक का नाम

आवेदक के हस्ताक्षर



आवासीय भूखण्ड/भवनों की नीलामी दिनांक..... में सीलड बिड के माध्यम से भाग लेने हेतु आवेदन पत्र

सेवा में,

उपाध्यक्ष,  
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,  
मुरादाबाद।

स्व० प्रमाणित  
फोटोग्राफ

विषय:— प्राधिकरण की .....योजना के सैक्टर/ब्लॉक..... में आवासीय भूखण्ड/भवन सं०..... क्षेत्रफल..... के लिए सीलड बिड के सम्बन्ध में।

महोदय,

मैं प्राधिकरण के उपर्युक्त आवासीय भूखण्ड/भवन सं०..... क्षेत्रफल..... व०मी० को क्रय करने हेतु इच्छुक हूँ। मैंने भूखण्ड/भवन को देख लिया है तथा जैसे है जहां है, उसी स्थिति में उक्त भूखण्ड/भवन क्रय करने हेतु सहमत हूँ। इस हेतु मैंने निर्धारित नियम एवं शर्तों को भली-भांति पढ़/समझ लिया है तथा समय-समय पर जारी किये गये प्राधिकरण के अन्य नियमों को मानने के वचन देता/देती हूँ।

उपर्युक्त भूखण्ड/भवन सं० ..... जिसका क्षेत्रफल..... व०मी० है, आरक्षित मूल्य रु०..... के विरुद्ध मैं मूल्य रु० (अंकों में)..... (शब्दों में)..... को ऑफर देता/देती हूँ। शर्तों के अनुसार आरक्षित मूल्य से भूखण्ड/भवन के कुल मूल्य रु०..... का 10 प्रतिशत धनराशि रु०..... का बैंक ड्राफ्ट सं०..... (बैंक/शाखा का नाम.....) दिनांक..... जो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय है, संलग्न कर रहा/रहीं हूँ।

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की उपरोक्त योजना से सम्बन्धित नियमों को पढ़ लिया है तथा मैं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के समस्त नियमों व शर्तों का पालन करूंगा/करूंगी। मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचनायें मेरे अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सर्वथा सत्य हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्ड/भवन पर नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत करा कर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही स्थल पर निर्माण करूंगा/करूंगी।

संलग्नक:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय/भवदीया

हस्ताक्षर:—

नाम:—

पति/पति का नाम:—

पता:—

मो० नं०:—

मेरे द्वारा यह सीलड बिड आज दिनांक..... को..... बजे खोला गया तथा ऑफर नोट किया गया।

सचिव,

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद उ0प्र0

शपथ पत्र (रु0 100/- के नाम जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

नाम श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का नाम श्री.....  
आयु..... व्यवसाय..... पूरा पता.....

मैं शपथ पूर्व बयान करता हूँ/करती हूँ:-

1. मैंने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की..... योजना के अन्तर्गत.....हेतु  
(योजना का नाम) (सम्पत्ति का विवरण)

पंजीकरण प्रार्थना पत्र संख्या..... दिनांक..... को प्रस्तुत किया गया व रु0..... टोकन धनराशि  
बैंक ड्राफ्ट सं0..... दिनांक..... के माध्यम से जमा करायी है जिससे तारतम्य मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही  
हूँ।

2. मैं बालिग हूँ तथा मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है।

3. मैं प्रार्थना पत्र केवल अपने लिए ही दे रहा/रही हूँ और इसमें किसी प्रकार का बेनामी अधिकार शामिल नहीं है।

4. मेरे या मेरे पति/मेरी पत्नी तथा अवस्यक बच्चों के पास..... नगर में विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास  
परिषद, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट किसी स्थानीय निकाय आदि द्वारा विकसित किसी आवासीय कॉलोनी में कोई भूखण्ड/भवन नहीं है  
तथा उत्तर प्रदेश में किसी नगर/शहरी क्षेत्र की विकसित कॉलोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं है।

5. मैंने पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ दी गयी पुस्तिका में उल्लिखित नियमों/शर्तों, दशाओं, विशेष सूचनाओं, परिभाषाओं को  
स्पष्ट समझ लिया है तथा मैं इनके पालन का वचन देता/देती हूँ।

6. आवंटित भूखण्ड/भवन के कब्जा देने में यदि भूमि अर्जन सम्बन्धी अथवा अन्य न्यायिक प्रक्रिया के कारण अथवा अन्य किसी  
अपरिहार्य कारण से देरी होती है, तो मुझे इस बिन्दु के आधार पर क्षतिपूर्ति का मांग करने का अधिकार नहीं होगा।

7. मुझे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूखण्ड/भवन देने की सभी शर्तों व नियम मान्य है।

8. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि जब तक भूखण्ड/भवन की समस्त किस्तों एवं करों का पूर्ण रूप से भुगतान न कर  
दूँ मुझे भवन या भूमि बेचने या गिरवी रखने का अधिकार न होगा और न ही भूखण्ड/भवन रिहायशी उपयोग के अतिरिक्त  
किसी अन्य प्रयोग में लाउंगा/लाउंगी।

9. यदि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटन उपरान्त आवेदित भूखण्ड/भवन कब्जा मैं न लूँ अथवा निर्धारित समय के  
अन्तर्गत मांगा गया रूपया न जमा करूंगा अथवा भूखण्ड/भवन की रजिस्ट्री न कराऊँ तथा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण  
द्वारा निर्धारित की गयी किसी भी शर्त अथवा नियम का उल्लंघन करूँ तो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को मेरे द्वारा जमा  
धन को नियमानुसार जब्त करने तथा भूखण्ड/भवन का आवंटन रद्द करने तथा भूखण्ड/भवन पर पुनः कब्जा कर लेने  
का पूरा अधिकार होगा।

10. ऊपर मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब मेरी जानकारी तथा विश्वास में पूर्ण सत्य है और उपरोक्त शपथ-पत्र में कुछ भी  
छिपाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। यदि मेरे द्वारा की गयी उपरोक्त बयानी कुछ भी गलत अथवा असत्य हो अथवा मैंने  
कोई महत्वपूर्ण बात छिपाई हो तो अन्य अधिकारियों के अतिरिक्त मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद के सक्षम अधिकारी  
को पूरा अधिकार होगा कि आवंटन/रजिस्ट्रेशन रद्द कर दें और इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा जमा धन को नियमानुसार जब्त  
कर लें और मेरे विरुद्ध जो भी कार्यवाही उचित समझें, करें उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)

घोषण:- मैं एतद्द्वारा बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपर्युक्त क्रमांक 01 से 10 तक दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान  
एवं विश्वास से सर्वथा सत्य हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)



## मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

की विभिन्न योजनाओं

के अन्तर्गत निविदा सह-नीलामी के माध्यम से

आवासीय भूखण्डों को प्राप्त करने का **"स्वर्णिम अवसर"**

नीलामी तिथि— प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को प्रातः 10:30 बजे से सायं 5:00 बजे तक। नियत दिवस में अवकाश होने अथवा अपरिहार्य कारण से नीलामी स्थगित होने पर चतुर्थ शनिवार को निर्धारित समय पर नीलामी सम्पन्न होगी।

क्र० सं०	सैक्टर/ ब्लॉक	सम्पत्ति संख्या	अनुमानित क्षेत्रफल (व०मी०)	कुल रिक्त सम्पत्तियाँ की संख्या	अन्य विवरण	न्यूनतम आरक्षित दर (रु०)	कुल रिक्त सम्पत्तियों की अनुमानित कीमत (रु०)	धरोहर राशि (अनुमानित कीमत का 10%) (रु०)
<b>योजना का नाम:— नया मुरादाबाद</b>								
1	सैक्टर-05	5B-55	241.65	1	9 मी० चौड़ी सड़क	23000.00	5557950.00	555795.00
2	सैक्टर-05	5B-34	243.00	1	9 मी० चौड़ी सड़क	23000.00	5589000.00	558900.00
3	सैक्टर-05	5B-108	203.40	1	9 मी० चौड़ी सड़क	23000.00	4678200.00	467820.00
4	सैक्टर-05	5C-80,81	220.00	2	12 मी० चौड़ी सड़क	23000.00	10120000.00	506000.00
5	सैक्टर-05	5C-82,83,84	220.00	3	12 मी० चौड़ी सड़क/पार्क	23000.00	15180000.00	506000.00
6	सैक्टर-05	5C-14	335.00	1	9 मी० चौड़ी सड़क	23000.00	7705000.00	770500.00
7	सैक्टर-05	5C-60	244.25	1	7.50 मी० चौड़ी सड़क	23000.00	5617750.00	561775.00
8	सैक्टर-05	5B-38	162.00	1	9 मी० चौड़ी सड़क/पार्क	23000.00	3726000.00	372600.00
9	सैक्टर-05	5B-40, 5C-107,	162.00	2	9 मी० चौड़ी सड़क	23000.00	7452000.00	372600.00
10	सैक्टर-05	5C-73	258.72	1	9 मी० चौड़ी सड़क	23000.00	5950560.00	595056.00
11	सैक्टर-05	5C-74	175.00	1	9 मी० चौड़ी सड़क	23000.00	4025000.00	402500.00
12	सैक्टर-05	5C-75	177.66	1	9 मी० चौड़ी सड़क	23000.00	4086180.00	408618.00
13	सैक्टर-05	5C-76	180.58	1	9 मी० चौड़ी सड़क/पार्क	23000.00	4153340.00	415334.00
14	सैक्टर-05	5C-77	183.24	1	9 मी० चौड़ी सड़क/पार्क	23000.00	4214520.00	421452.00
15	सैक्टर-05	5C-192	162.00	1		23000.00	3726000.00	372600.00
16	सैक्टर-05	5B-97	151.42	1	9 मी० चौड़ी सड़क	23000.00	3482660.00	348266.00
17	सैक्टर-05	5A-160	176.39	1	7.50/7.50 चौड़ी सड़क/पार्क	23000.00	4056970.00	405697.00
18	सैक्टर-05	5B-428	71.28	1	7.50 मी० चौड़ी सड़क	23000.00	1639440.00	163944.00
19	सैक्टर-05	5B-552, 554, 555,	71.40	3	7.50 मी० चौड़ी सड़क	23000.00	4926600.00	164220.00
20	सैक्टर-05	5B-557	60.00	1		23000.00	1380000.00	138000.00
21	सैक्टर-06	6B-01	216.00	1	12 मी०/7.50 मी० चौड़ी सड़क	23000.00	4968000.00	496800.00
22	सैक्टर-07	6B-02 to B-06	162.00	5	7.50 मी० चौड़ी सड़क	23000.00	18630000.00	372600.00
23	सैक्टर-06	6B-07,08	216.00	2	7.5 मी०/7.50 मी० चौड़ी सड़क	23000.00	9936000.00	496800.00
24	सैक्टर-06	6B-09 to 6B13	162.00	5	7.50 मी० चौड़ी सड़क	23000.00	18630000.00	372600.00
25	सैक्टर-06	6B-14	216.00	1	7.5 मी०/12 मी० चौड़ी सड़क	23000.00	4968000.00	496800.00
26	सैक्टर-06	B-16 to B-23	162.00	8	12 मी० चौड़ी सड़क/पार्क	23000.00	29808000.00	372600.00
27	सैक्टर-06	6B-24, 6B-27,	162.00	2	12 मी० चौड़ी सड़क	23000.00	7452000.00	372600.00
28	सैक्टर-06	6B-41	162.00	1	9 मी० चौड़ी सड़क/पार्क	23000.00	3726000.00	372600.00
29	सैक्टर-06	6C-74	243.00	1	9 मी० चौड़ी सड़क	23000.00	5589000.00	558900.00
30	सैक्टर-06	6B-93,95,98	189.00	3	12 मी० चौड़ी सड़क	23000.00	13041000.00	434700.00
31	सैक्टर-06	6E-66	51.60	1	9 मी० चौड़ी सड़क	23000.00	1186800.00	118680.00

32	सैक्टर-07	7A-61	162.00	1	7.50 मी0 चौड़ी सड़क	23000.00	3726000.00	372600.00
33	सैक्टर-07	7A-74	129.50	1	9 मी0/18 मी0 चौड़ी सड़क	23000.00	2978500.00	297850.00
34	सैक्टर-08	8C-418,419	157.67	2	9 मी0 चौड़ी सड़क/पार्क	23000.00	7252820.00	362641.00
35	सैक्टर-08	8B-530	162.00	1	7.50 मी0 चौड़ी सड़क/पार्क	23000.00	3726000.00	372600.00
36	सैक्टर-08	8C-360,	162.00	1	12 मी0 चौड़ी सड़क	23000.00	3726000.00	372600.00
37	सैक्टर-08	8A-63	162.00	1	9 मी0 चौड़ी सड़क	23000.00	3726000.00	372600.00
38	सैक्टर-08	8B-261	162.00	1	7.50 मी0 चौड़ी सड़क/पार्क	23000.00	3726000.00	372600.00
39	सैक्टर-08	8B-612	157.72	1	7.50 मी0 चौड़ी सड़क/पार्क	23000.00	3627560.00	362756.00
40	सैक्टर-08	8B-195	162.00	1	12 मी0 चौड़ी सड़क	23000.00	3726000.00	372600.00
41	सैक्टर-08	8C-426	166.95	1	7.50 मी0 चौड़ी सड़क	23000.00	3839850.00	383985.00
42	सैक्टर-08	8C-356	171.00	1	12 मी0/12 मी0 चौड़ी सड़क	23000.00	3933000.00	393300.00
43	सैक्टर-08	8A-118	207.00	1	9 मी0/18 मी0 चौड़ी सड़क	23000.00	4761000.00	476100.00
44	सैक्टर-08	8A-90	135.00	1	7.50 मी0 चौड़ी सड़क	23000.00	3105000.00	310500.00
45	सैक्टर-08	8C-427	166.95	1	7.50 मी0 चौड़ी सड़क	23000.00	3839850.00	383985.00
46	सैक्टर-08	8B-618	162.00	1	30 मी0 चौड़ी सड़क	23000.00	3726000.00	372600.00
47	सैक्टर-10	10D-50	351.00	1	9 मी0 चौड़ी सड़क	23000.00	8073000.00	807300.00
48	सैक्टर-10	10C-16	351.00	1	9 मी0 चौड़ी सड़क/पार्क	23000.00	8073000.00	807300.00
49	सैक्टर-10	10D-35	351.00	1		23000.00	8073000.00	807300.00
50	सैक्टर-10	10E-42	465.40	1	12 मी0/12 मी0 चौड़ी सड़क/पार्क	23000.00	10704200.00	1070420.00
51	सैक्टर-11	11D-34	462.50	1	12 मी0 चौड़ी सड़क	23000.00	10637500.00	1063750.00
52	सैक्टर-14	14D-22	472.50	1	9 मी0 चौड़ी सड़क	23000.00	10867500.00	1086750.00
53	सैक्टर-14	14F-30	517.50	1	9 मी0 चौड़ी सड़क	23000.00	11902500.00	1190250.00
54	सैक्टर-15	15C-02	300.00	1	30 मी0 चौड़ी सड़क	23000.00	6900000.00	690000.00
55	सैक्टर-16	16A-2	246.50	1	30 मी0 चौड़ी सड़क	23000.00	5669500.00	566950.00
56	सैक्टर-16	16A-05	204.50	1	30 मी0 चौड़ी सड़क	23000.00	4703500.00	470350.00

**योजना का नाम:- सीतापुरी दस सराय**

1	ब्लॉक:-	76	60.00	1	6 मी0 चौड़ी सड़क/पार्क	14000.00	840000.00	84000.00
2	ब्लॉक:-	70	60.00	1	6 मी0 चौड़ी सड़क	14000.00	840000.00	84000.00
3	ब्लॉक:-	31, 33	61.38	2	6 मी0 चौड़ी सड़क	14000.00	1718640.00	85932.00
4	ब्लॉक:-	53	60.00	1	6 मी0 चौड़ी सड़क	14000.00	840000.00	84000.00
5	ब्लॉक:-	24	51.36	1	6 मी0 चौड़ी सड़क	14000.00	719040.00	71904.00
6	ब्लॉक:-	23	48.86	1	6 मी0 चौड़ी सड़क	14000.00	684040.00	68404.00
7	ब्लॉक:-	22	46.85	1	6 मी0 चौड़ी सड़क	14000.00	655900.00	65590.00
8	ब्लॉक:-	18	59.93	1	6 मी0 चौड़ी सड़क	14000.00	839020.00	83902.00
9	ब्लॉक:-	62	60.00	1		14000.00	840000.00	84000.00

**योजना का नाम:- एकता विहार (उत्तरी)**

1	ब्लॉक:-	भवन MIG-150	147.44	1		14000.00	2064160.00	206416.00
---	---------	-------------	--------	---	--	----------	------------	-----------

**योजना का नाम:- एकता विहार (दक्षिणी)**

1	ब्लॉक:-	भूखण्ड C/11A	98.01	1		14000.00	1372140.00	137214.00
---	---------	--------------	-------	---	--	----------	------------	-----------

**योजना का नाम:- हिमगिरी**

1	ब्लॉक:-	100A	32.00	1		14000.00	448000.00	44800.00
---	---------	------	-------	---	--	----------	-----------	----------

**योजना का नाम:- आशियाना-प्रथम**

1	ब्लॉक:-	22	150.00	1		27000.00	4050000.00	405000.00
---	---------	----	--------	---	--	----------	------------	-----------

**योजना का नाम:- रामगंगा विहार-द्वितीय**

1	ब्लॉक:-	175 to 178	40.00	4		29000.00	4640000.00	116000.00
---	---------	------------	-------	---	--	----------	------------	-----------



**मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद**

की विभिन्न योजनाओं

के अन्तर्गत निविदा सह-नीलामी के माध्यम से

आवासीय भवन/प्लैट को प्राप्त करने का **"स्वर्णिम अवसर"**

नीलामी तिथि- प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को प्रातः 10:30 बजे से सायं 5:00 बजे तक। नियत दिवस में अवकाश होने अथवा अपरिहार्य कारण से नीलामी स्थगित होने पर चतुर्थ शनिवार को निर्धारित समय पर नीलामी सम्पन्न होगी।

क्र० स०	सैक्टर/ ब्लॉक	रिक्त सम्पत्ति संख्या	श्रेणी	कुल रिक्त सम्पत्तियों की संख्या	अनुमानित क्षेत्रफल (व०मी०)	सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु०)	कुल रिक्त सम्पत्तियों की अनुमानित कीमत (रु०)	धरोहर राशि (अनुमानित कीमत का 10%) (रु०)
---------	---------------	-----------------------	--------	---------------------------------	----------------------------	-----------------------------	--	---

**योजना का नाम:- नया मुरादाबाद**

1	सैक्टर-15ए	(GF) 15A-02A, 05A, 07A,	MMIG (F/S)	3	79.38	2986000.00	8958000.00	298600.00
		(FF) 15A-1B, 2B, 3B, 5B, 6B, 7B, 8B	MMIG (F/S)	7	79.38	2620900.00	18346300.00	262090.00
		(SF) 15A-01C to 08C	MMIG (F/S)	8	79.38	2620900.00	20967200.00	262090.00
		(TF) 15A-01D to 08D	MMIG (F/S)	8	79.38	2620900.00	20967200.00	262090.00
2	सैक्टर-16ए	(GF) 34A, 64A	LIG (T/S)	2	72	1965300.00	3930600.00	196530.00
		(FF) 31B, 44B	LIG (T/S)	2	72	1634100.00	3268200.00	163410.00
		(SF) 09C, 45C, 75C, 81C, 84C	LIG (T/S)	5	72	1716900.00	8584500.00	171690.00

**योजना का नाम:- आजाद नगर**

3	ब्लॉक:-	169, 115, 177, 52, 68	LIG (S/S)	5	56	1718800.00	8594000.00	171880.00
	ब्लॉक:-	AS-14 & AS-213	Ashray GF	2	25.92	494300.00	988600.00	49430.00
		23A, 47A, 67A, 86A, 87A, 99A, 147A, 213A, 242A, 245A, 246A	Ashray FF	11	25.92	411400.00	4525400.00	41140.00

**योजना का नाम:- नवीन नगर**

4	ब्लॉक:-	य-37ए, र-63ए, र-68ए	EWS (D/S) GF	3	11.43	415000.00	1245000.00	41500.00
	ब्लॉक:-	र-68बी	GF	1	14.04	465000.00	465000.00	46500.00
		र-68सी, र-67सी	FF	2	14.04	347000.00	694000.00	34700.00
	ब्लॉक:-	17A	MIG Duplex	1	120	2570008.00	2570008.00	257000.80

**योजना का नाम:- आशियाना-द्वितीय**

5	ब्लॉक:-	D1- 06, 156	EWS	2	26.00	575000.00	1150000.00	57500.00
		D1-55A, 142A,		2	26.00	512700.00	1025400.00	51270.00

**योजना का नाम:- रामगंगा विहार-प्रथम**

6	ब्लॉक:-	No 12	HIG Duplex	1	69.16	5267000.00	5267000.00	526700.00
---	---------	-------	------------	---	-------	------------	------------	-----------

**योजना का नाम:- रामगंगा विहार-द्वितीय**

7	ब्लॉक:-	1G, 5G, 6G, 7G, 8,	MIG (F/S) GF	5	87.73	2720000.00	13600000.00	272000.00
		7F, 8F	FF	2	87.73	2212000.00	4424000.00	221200.00
		1S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S, 8S	SF	7	87.73	2212000.00	15484000.00	221200.00
		1T, 3T, 4T, 5T, 6T, 7T, 8T	TF	7	87.73	2212000.00	15484000.00	221200.00
	ब्लॉक:-	6G	MIT (T/S)	1	130.000	4329000.00	4329000.00	432900.00
ब्लॉक:-	22, 153, 256	EWS (D/S)	3	28.32	819000.00	2457000.00	81900.00	

**योजना का नाम:- गजरौला**

6	ब्लॉक:-	L-539, 540, 541	LIG	3	60	1470000.00	4410000.00	147000.00
---	---------	-----------------	-----	---	----	------------	------------	-----------

**योजना का नाम:- कबीर नगर (फ्रेन्ड्स अपार्टमेंट)**

7	ब्लॉक:-	G-19, 46, 67	MIG (T/S) GF	3	100.10	2480500.00	7441500.00	248050.00
		F-14, 23, 58	FF	3	100.10	2300400.00	6901200.00	230040.00
		S-24, 33, 36, 42, 57, 66, 72, 99, 102	SF	9	100.10	2345400.00	21108600.00	234540.00

**योजना का नाम:- कबीर नगर**

8	ब्लॉक:-	घ-13	LIG (S/S)	1	72.00	763300.00	763300.00	76330.00
		घ-19	LIG (S/S)	1	72.00	876700.00	876700.00	87670.00
		घ-21	LIG (S/S)	1	72.00	763300.00	763300.00	76330.00

**योजना का नाम:- हिमगिरी**

9	ब्लॉक:-	26ए, 97ए	EWS	2	21.96	292910.00	585820.00	29291.00
---	---------	----------	-----	---	-------	-----------	-----------	----------

**योजना का नाम:- एकता विहार (उत्तरी)**

10	ब्लॉक:-	बी-24	MIG (S/S)	1	181.72	3533400.00	3533400.00	353340.00
11	ब्लॉक:-	बी-34	MIG (S/S)	1	151.23	3133500.00	3133500.00	313350.00
12	ब्लॉक:-	बी-39	MIG (S/S)	1	151.27	3093400.00	3093400.00	309340.00
13	ब्लॉक:-	बी-46	MIG (S/S)	1	152.02	2819800.00	2819800.00	281980.00

**योजना का नाम:- मा0 काशीराम जी नगर योजना**

14	ब्लॉक:-	H-159, 162, 174, 210, 214	LIG (D/S) GF	5	58.07	1552400.00	7762000.00	155240.00
		H-159A, 163A, 173A, 179A, 182A, 205A, 210A, 213A, 214A, 21A	FF	10	58.07	1355000.00	13550000.00	135500.00
15	ब्लॉक:-	10A, 28A, 37A	MMIG (T/S) GF	3	100.10	3524300.00	10572900.00	352430.00
		2B, 23B, 26B, 35B	FF	4	100.10	3183900.00	12735600.00	318390.00
		21C, 27C, 33C, 39C, 45C, 24C	SF	6	100.10	3269000.00	19614000.00	326900.00
16	ब्लॉक:-	10A, 16A, 28A, 43A	LIG (T/S) GF	4	55	1684800.00	6739200.00	168480.00
		2B, 5B, 11B, 14B, 17B, 32B, 35B, 41B, 44B	FF	9	55	1497800.00	13480200.00	149780.00
		9C, 15C, 27C, 33C, 36C, 42C, 48C	SF	7	55	1544500.00	10811500.00	154450.00



## मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

की विभिन्न योजनाओं

के अन्तर्गत लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से

आवासीय फ्लैट को प्राप्त करने का **"स्वर्णिम अवसर"**

लॉटरी ड्रॉ तिथि- प्रत्येक माह के तृतीय शनिवार को प्रातः 10:30 बजे से सायं 5:00 बजे तक। नियत दिवस में अवकाश होने अथवा अपरिहार्य कारण से नीलामी स्थगित होने पर चतुर्थ शनिवार को निर्धारित समय पर नीलामी सम्पन्न होगी।

क्र० सं०	सेक्टर/ ब्लॉक	रिक्त सम्पत्ति संख्या	श्रेणी	कुल रिक्त सम्पत्तियों की संख्या	अनुमानित क्षेत्रफल (व०मी०)	सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु०)	कुल रिक्त सम्पत्तियों की अनुमानित कीमत (रु०)	धरोहर राशि (अनुमानित कीमत का 10%) (रु०)
<b>योजना का नाम:- नया मुरादाबाद</b>								
1	सेक्टर-15 ए	15A 01 to 28	EWS (F/S) GF	28	36.92	1772200.00	49621600.00	177220.00
		15B 01 to 28	FF	28	36.92	1407000.00	39396000.00	140700.00
		15B 01 to 28	SF	28	36.92	1407000.00	39396000.00	140700.00
		15B 01 to 28	TF	28	36.92	1407000.00	39396000.00	140700.00
<b>योजना का नाम:- देहरी मुस्तहकम</b>								
2	ब्लॉक:-	01A to 17A, 19A to 28A	LIG (F/S) GF	27	75.44	2836600.00	76588200.00	283660.00
		1B, 2B, 4B, 5B, 7B to 28B	FF	26	75.44	2512200.00	65317200.00	251220.00
		01C to 28C	SF	28	75.44	2512200.00	70341600.00	251220.00
		01D to 28D	TF	28	75.44	2512200.00	70341600.00	251220.00
<b>योजना का नाम:- ढक्का (समाजवादी)</b>								
3	ब्लॉक:-	01 to 08	MMIG (FS) GF	8	75.66	2065700.00	16525600.00	206570.00
		01 to 08	FF	8	75.66	1899250.00	15194000.00	189925.00
		01 to 08	SF	8	75.66	1899250.00	15194000.00	189925.00
		01 to 08	TF	8	75.66	1899250.00	15194000.00	189925.00
4	ब्लॉक:-	01 to 44	LIG (F/S) GF	44	74.80	2161100.00	95088400.00	216110.00
		01 to 44	FF	44	74.80	1989100.00	87520400.00	198910.00
		01 to 44	SF	44	74.80	1989100.00	87520400.00	198910.00
		01 to 44	TF	44	74.80	1989100.00	87520400.00	198910.00
5	ब्लॉक:-	01 to 44	EWS (F/S) GF	44	36.92	1494050.00	65738200.00	149405.00
		01 to 44	FF	44	36.92	1412800.00	62163200.00	141280.00
		01 to 44	SF	44	36.92	1412800.00	62163200.00	141280.00
		01 to 44	TF	44	36.92	1412800.00	62163200.00	141280.00

## नोट:-

1. अन्य जानकारी प्राधिकरण की वेबसाइट [www.mdamoradabad.org](http://www.mdamoradabad.org) पर प्राप्त की जा सकती है।
2. नीलामी / लॉटरी ड्रॉ नियत दिवस पर अवकाश अथवा अपरिहार्य कारणवश सम्पन्न न हो पाने की दशा में माह के चतुर्थ शनिवार को नीलामी / लॉटरी ड्रॉ नियत समय पर प्राधिकरण सभागार में सम्पन्न किया जायेगा।
3. आवेदन फार्म एवं विवरण पुस्तिका निर्धारित शुल्क **ICICI**, बैंक, सिविल लाइन्स, शाखा, मुरादाबाद में प्राधिकरण के बचत खाता सं० 01900106737 में जमा कर बैंक से प्राप्त किये जा सकते हैं।
4. जो रिक्त सम्पत्तियां पुस्तिका में सम्मिलित नहीं हो पायीं हैं, उनको प्राधिकरण की वेबसाइट [www.mdamoradabad.org](http://www.mdamoradabad.org) पर आवंटन हेतु अपलोड किया गया है। जहां से रिक्त सम्पत्तियों का अवलोकन कर आवेदक नियमानुसार नीलामी हेतु आवेदन कर सकता है। सम्पत्तियों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय का अधिकार उपाध्यक्ष, मु०वि०प्रा० का होगा, जो सभी आवेदकों को सर्वमान्य एवं बाध्यकारी होगा।
5. "प्रथम आगत-प्रथम प्रदत्त" योजना के अन्तर्गत ई०डब्लू०एस०, एल०आई०जी० एवं एम०आई०जी० भवनों के पंजीकरण दिनांक 31.03.2022 तक खुले हुए हैं, जिसके लिए वेबसाइट [janhit.upda.in](http://janhit.upda.in) पर ऑनलाइन आवेदन कर भवन प्राप्त किये जा सकते हैं। सम्पूर्ण सूची एवं विवरण वेबसाइट [janhit.upda.in](http://janhit.upda.in) पर उपलब्ध है।